

अध्याय 16

राष्ट्रीय सुरक्षा

एक अवधारणा के अनुसार किसी राष्ट्र के निर्माण में ये चार तत्त्व अनिवार्यतः शामिल होते हैं— भूमि, जनसंख्या, सम्प्रभुता और सरकार। राष्ट्र की अखण्डता को बनाए रखने अर्थात् देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना भी राष्ट्र का एक अनिवार्य अंग है। भारत की सेना देश का गौरव और हमारा विश्वास है। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और बलिदान से विश्व में ख्याति अर्जित की है।

राष्ट्र के समक्ष सुरक्षा चुनौतियाँ

भारत के समक्ष सुरक्षा चुनौतियाँ निरन्तर उपस्थित रही हैं। ये चुनौतियाँ विभिन्न स्तरों पर विद्यमान हैं। शत्रु का खतरा न केवल देश की सीमाओं पर विद्यमान रहता है, अपितु देश के सुरक्षा-चक्र को भेदकर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा वह देश के आन्तरिक भागों में भी चुनौतियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहता है। तीसरी तरफ वह



देश की एकता के ताने-बाने पर भी प्रहार करने का प्रयास करता रहता है। इन विभिन्न तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश में विभिन्न स्तरों वाली सुरक्षा-व्यवस्था स्थापित है।

भारत पश्चिम में पाकिस्तान से, तो उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। ये देश भारत पर आक्रमण कर चुके हैं। इन देशों के साथ भारत का सीमा-विवाद भी है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेकर भारत से परोक्ष रूप से युद्ध छेड़े हुए है। भारत की उत्तरी सीमा पर आए दिन गोलीबारी होती रहती है। उत्तरी-पूर्वी सीमा पर चीन आए दिन सीमा का उल्लंघन करता रहता है। सीमाओं पर घुसपैठ का खतरा भी लगातार बना रहता है। देश में कुछ क्षेत्र अलगाववादी और नक्सलवादी हिंसा से ग्रस्त हैं।

गतिविधि –

विगत 15 दिवस के समाचार-पत्रों से भारत की सीमाओं पर होने वाली हलचल और आन्तरिक सुरक्षा संबंधी समाचार संकलित कीजिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा को हम दो प्रकार से देखते हैं—

1. बाह्य सुरक्षा और
2. आन्तरिक सुरक्षा

बाह्य सुरक्षा

बाह्य सुरक्षा से आशय देश की सीमाओं की सुरक्षा से है। 'प्रथम सुरक्षा पंक्ति' के रूप में देश की सेनाएँ शत्रु से मुकाबला कर उसे परास्त करती हैं। जब युद्ध नहीं होता और शांतिकाल होता है, तब सेनाएँ सीमा से कुछ दूर रहती हैं। उस समय 'दूसरी सुरक्षा पंक्ति' के रूप में सीमा सुरक्षा बल, तट रक्षक बल,



भारत-तिब्बत सीमा पुलिस व अन्य सुरक्षा बल देश की सीमाओं पर गश्त करते हुए निगरानी रखते हैं। वे आतंकवादियों, घुसपैठियों और तस्करी को सीमा पार करने से रोकते हैं। युद्ध की आशंका होने पर सेनाएँ सीमा पर आ डटती हैं और शत्रु का मुकाबला करने के लिए मोर्चा सम्भाल लेती हैं।

भारतीय सेना

भारतीय सेना के तीन अंग हैं— 1. थल-सेना (आर्मी) जमीन पर युद्ध करती है। 2. जल-सेना (नेवी) समुद्री सीमाओं पर युद्ध करती है। 3. वायु-सेना (एयर फोर्स) आकाशीय सीमाओं की निगरानी रखती है और युद्ध में आकाश-मार्ग से शत्रु के आक्रमण का मुकाबला कर थल-सेना और जल-सेना की मदद करती है।

तीनों सेनाओं के अपने-अपने सेना अध्यक्ष होते हैं। भारतीय सेना केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का 'सर्वोच्च सेनापति' होता है।



थल सेना



जल सेना



वायु सेना

तीनों सेनाओं के प्रतीक चिह्न

गतिविधि—

भारत की तीनों सेनाओं के वर्तमान अध्यक्षों का नाम मालूम कीजिए।

भारतीय सेना उच्च प्रशिक्षित तथा परमाणु हथियार और शक्तिशाली आधुनिकतम हथियारों से युक्त विश्व की एक अनुशासित और शक्तिशाली सेना है। भारतीय सेना ने सन् 1962, 1965, 1971 व 1999 में दुश्मन के आक्रमणों का मुँहतोड़ जवाब देकर दुश्मन के दाँत खट्टे कर दिये थे। विश्व के अनेक युद्धग्रस्त देशों में युद्धों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने 'संयुक्त राष्ट्र संघ' के तत्वाधान में 'शांति-सेना' के रूप में कार्य करते हुए विश्व में शांति की स्थापना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तूफान, बाढ़, भूकम्प, दंगे आदि विपत्तियों के समय सेना 'नागरिक प्रशासन' की मदद भी करती है।



प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा(1947)

गतिविधि—

अपने शिक्षक से स्वतंत्रता के बाद भारत व उसके पड़ोसी देशों के मध्य हुए युद्धों की जानकारी प्राप्त करें।

विश्व की दूसरी शक्तिशाली सेनाओं की बराबरी पर बने रहने के लिए भारतीय सेना को आवश्यकता अनुसार आधुनिकतम हथियार, सैन्य तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराते रहना आवश्यक है। भारत काफी सैन्य सामग्री और तकनीक विदेशों से खरीदता रहा है, परन्तु अब भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी उन्नत तकनीक विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। देश के 'रक्षा एवं अनुसंधान संगठन' जैसे अनुसंधान संस्थानों में भारतीय रक्षा वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे रहते हैं। भारत सैन्य सामग्री के उत्पादन में आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर है। अब तो 'अग्नि' व 'पृथ्वी' जैसे शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र, टैंक, लड़ाकू विमान व जहाज तथा अन्य हथियारों का उत्पादन देश में ही हो रहा है।

भारत के सुरक्षा कवच

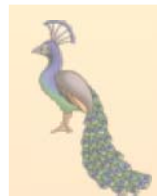
1. **सुखोई-30 MKi :** यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप रूस में निर्मित दो शक्तिशाली इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इस पर ब्रह्मोस एवं निर्भय जैसी क्रूज मिसाइलें लगाई जा सकती है। यह प्रतिकूल मौसम में भी उड़ान भर सकता है।
2. **ब्रह्मोस मिसाइल :** इसका निर्माण रूस एवं भारत के संयुक्त उपक्रम द्वारा किया गया है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल पहाड़ी क्षेत्रों में पीछे छिपे लक्ष्य पर भी निशाना लगाने में सक्षम है।
3. **आई.एन.एस. विक्रमादित्य :** यह भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला विमान वाहक युद्धपोत है। इसका क्षेत्रफल तीन फुटबाल के मैदान के बराबर है। यह 'मिग-29' जैसे कुल 24 विमानों को जाने में सक्षम हैं। इस पर विमान पट्टी भी मौजूद है।
4. **टी-90 एस भीष्म टैंक :** इससे 5 किमी के दायरे में प्रहार किया जा सकता है। इस टैंक पर किसी भी प्रकार के रासायनिक, जैविक और रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता। इसके अंदर बैठ



युद्धक टैंक : भीष्म (टी-90 एस)



विमान वाहक पोत : विक्रमादित्य



कर इसे रिमोट से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसका डिजाइन इस तरह का है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाता है तथा उससे निकलने वाले विकिरण टैंक के अंदर बैठे जवानों को हानि नहीं पहुँचा सकते हैं।

5. **आई.एन.एस.चक्र-2** : यह एक परमाणु संयंत्र युक्त पनडुब्बी है, जो पानी के भीतर 600 मीटर गहराई पर रह सकती है। यह लगातार तीन माह तक समुद्र के अन्दर रह सकती है।

गतिविधि—

शिक्षक की सहायता से हमारे देश में विकसित प्रमुख सुरक्षा हथियार, जैसे— टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सूची बनाइए और उनके चित्र एकत्रित कीजिए।

अर्द्ध सैनिक बल और सीमा सुरक्षा

भारत की थल-सीमा की लम्बाई 15,200 किलोमीटर और जल-सीमा की लम्बाई 7516 किलोमीटर है। शांतिकाल में विभिन्न अर्द्ध सैनिक बल सीमा की निगरानी रखते हैं। सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के जवान भारत की पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगने वाली थल सीमा पर तैनात रहते हैं। उत्तर-पूर्व के पर्वतीय इलाके में चीन से लगी सीमा पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) के जवान निगरानी रखते हैं, तो वहीं समुद्री सीमा की निगरानी तट रक्षक बल (कोस्ट गार्ड) के जवान रखते हैं। सीमाओं पर गश्त करते हुए निगरानी रखने वाले ये अर्द्धसैनिक बल आतंकवादियों, तस्करों और घुसपैठियों को देश में घुसने से रोकते हैं। सीमाओं की निगरानी के लिए देश में अन्य सुरक्षा बल भी मौजूद हैं।

भारत की सशस्त्र सेनाओं के सहयोग के लिए इन अर्द्धसैनिक बलों के अलावा प्रादेशिक सेना, नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.), नागरिक सुरक्षा दल (सिविल डिफेन्स) आदि संगठन सेना के सहयोग के लिए तैयार किए गए हैं। सैन्य-शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी अपने स्कूल व कॉलेज में चलने वाले एन.सी.सी. से जुड़ सकते हैं। देश के सामान्य नागरिक 'प्रादेशिक सेना' और 'नागरिक सुरक्षा दल' से जुड़कर सहयोग कर सकते हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव और महेन्द्र सिंह धोनी प्रादेशिक सेना से जुड़े हुए हैं। वैसे अनेक देशों में नागरिकों को सैनिक शिक्षा और नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

आन्तरिक सुरक्षा

देश में आन्तरिक सुरक्षा के लिए पुलिस एवं अन्य विशिष्ट अर्द्धसैनिक बल व आरक्षित बल होते हैं। आन्तरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों की होती है। प्रत्येक राज्य का अपना स्वयं का पुलिस संगठन होता है। पुलिस अपने राज्य में अपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों से निपटती है और अपराधियों को सजा दिलाती है। आन्तरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अन्य अनेक सुरक्षा बलों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आर.पी.एफ.) रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करते हुए ट्रेन व रेलवे स्टेशनों पर अपराधों की रोकथाम करते हैं।
2. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) आवश्यकता के समय उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में राज्य की पुलिस की सहायता करता है।

3. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है।
4. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एस.पी.जी.) राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.वी.आई.पी.) की सुरक्षा में लगा रहता है।

देश की सुरक्षा हेतु नागरिकों के कर्तव्य—

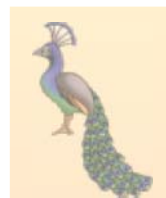
देश की सुरक्षा की जितनी जिम्मेदारी सेना की है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की भी है। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें—

1. युवाओं को सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रेरित करना चाहिए।
 2. देश का कोई भी गोपनीय दस्तावेज या सूचना विदेशियों को न दें। जासूसी जैसी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए।
 3. जब हमारे सैनिक मोर्चे पर लड़ रहे हों, तो उन्हें समय पर खाद्य सामग्री, दवाईयाँ तथा आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करानी चाहिए और सेना का मनोबल बनाए रखना चाहिए।
 4. युद्ध के अवसर पर जनता का हौसला किसी भी प्रकार से कम ना होने दें।
 5. सेना और प्रशासन की पूरी मदद करें और उनके निर्देशों का पालन करें।
 6. नागरिक सुरक्षा व्यवस्था, जैसे— ब्लैक आउट, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन आदि में प्रशासन का सहयोग करें।
 7. आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी तथा अनावश्यक रूप से संग्रह न करें। इस प्रकार का काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में पुलिस को सूचित करें।
- हमें तन—मन—धन से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।



शब्दावली

शांति काल	—	वह काल जब सेना युद्धरत न हो।
शांति सेना	—	दो युद्धरत देशों को युद्ध से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निगरानी रखने वाली अन्य देशों की सेना।
ब्लैक आउट	—	युद्ध के दौरान प्रशासन एवं नागरिकों द्वारा कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और घरों में अंधेरा रखना।



अभ्यास प्रश्न

- सही विकल्प को चुनिए –
 - देश के निर्माण के लिए आवश्यक है –

(अ) सरकार	(ब) भूमि	
(स) जनसंख्या	(द) उपर्युक्त सभी	()
 - 'अग्नि' नामक हथियार है –

(अ) टैंक	(ब) लड़ाकू विमान	
(स) विमान वाहक पोत	(द) प्रक्षेपास्त्र	()
 - सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं–

(अ) प्रादेशिक सेना से	(ब) अर्द्धसैनिक बल से	
(स) स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से	(द) एन.सी.सी.से	()
- स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
i. राजकीय रेलवे पुलिस	औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
ii. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा
iii. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल	ट्रेन व रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा
iv. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप	उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में राज्य पुलिस की सहायता
- निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–
 - भारतीय.....सेना आकाशीय सीमाओं की निगरानी रखती है।
 - भारत का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
 - प्रथम परमवीर चक्र.....को प्रदान किया गया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखतः कौनसे दो भागों में विभाजित है ?
- भारतीय सेना के तीन अंग कौन-कौन से हैं ?
- थल सीमा की निगरानी कौन सा बल रखता है ?
- उत्तर पूर्व के पर्वतीय इलाकों में सीमाओं की निगरानी कौन सा बल करता है ?
- जल सीमा की निगरानी कौनसा बल रखता है ?
- देश की सुरक्षा हेतु नागरिकों के कम से कम पाँच कर्तव्य लिखिए।

